

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)



ccf-kanker.cg@gov.in



(07868) 222014



(07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./न.क्र.26/2019/712

कांकेर, दिनांक/13/03/2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध)

छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर।

विषय:- Diversion of Forest land non-Forest purpose under Forest Conservation Act. 1980 Proposed for Kendriya Vidhayalaya Area 4.00 ha. regarding.

Online Registrarion No. FP/CG/SCH/32243/2018

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक /भू-प्रबंध/विविध/115-735/53 दिनांक 05.01.2019



विषयांतर्गत संदर्भ में लेख है कि आवेदकनकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव जिले के दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल अंतर्गत दहीकोंगा परिक्षेत्र के संरक्षित वन भूमि के कक्ष क्रमांक पी-794 में से रकबा 4.00 हे. वन भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव तैयार कर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ मा.चि./न.क्र.26/2859 दिनांक 16.11.2018 द्वारा आपाको प्रेषित किया गया है, जिसमें आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से 02 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी, प्रकरण में चाही गई अतिरिक्त जानकारी वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल ने अपने पत्र क्रमांक/मा.चि./1048 दिनांक 22.02.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

01. उक्त प्रस्ताव के कलेक्टर कोण्डागांव का केन्द्रीय विद्यालय हेतु गैर वन भूमि की अनुउपलब्धता संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न है।
02. प्रकरण में तीन विकल्पों का तुलनात्मक विवरण मानचित्र में दर्शाकर विवरण संलग्न है।

अतः विषयांकित प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का सादर अनुरोध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


मुख्य वन संरक्षक

कांकेर वृत्त, कांकेर

पृ.क्रमांक/मा.चि./न.क्र.26/2019/713

कांकेर, दिनांक/13/03/2019

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल को उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./1048 दिनांक 22.02.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोण्डागांव (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


मुख्य वन संरक्षक

कांकेर वृत्त, कांकेर